संख्या-50/2016/1980/37-1-2016

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0
लखनऊ।

(2) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र
पशुपालन विभाग, उ0प्र0
लखनऊ।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पशुधन विकास परिषद,
पशुपालन निदेशालय लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 26 जुलाई,2016

विषयः निर्णय लेने एवं कार्यान्वयन प्रणाली में तेजी लाये के जाने के संबंध में।

महोदय,

यह अनुभव किया जा रहा है कि कतिपय मामलों में नियमानुसार सक्षम होने पर भी आप द्वारा निर्णय न लेते हुए उन्हें अनावश्यक रूप से शासन को निणयार्थ संदर्भित कर दिया जाता है। यह स्थिति उचित नहीं हैा इसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण प्रकरणों में समय से निर्णय नहीं हो पाता है और उनका कार्यान्वयन त्वरित गति से नहीं हो पाता हैा अतः विभागीय कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी व परिणाम मूलक बनाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः-

(1) प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध रूप से प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही विकसित की जाय और प्रत्येक स्तर पर 03 दिन में प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

(2) सक्षम होने की स्थिति में अधिकारीगण स्वयं निर्णय लेने की संस्कृति विकसित करें।

(3)) यदि किसी प्रकरण में शासन स्तर से निर्णय अपेक्षित हो तो निर्णय के बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष के रूप में अपने अभिमत/प्रस्ताव सहित प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित कराने हेतु डायरी प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(5) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर होने वाली कार्यवाही/पत्राचार के संबंध में पत्रावलियों पर टिप्पणी अंकित कर निर्णय लेते हुए आदेश/पत्र जारी किये जायें और पत्रावलियों का रखरखाव सुचारू रूप से कराया जाय। पत्रावलियों के रखरखाव के संबंध में संबंधित लिपिकों/कार्यालय अधीक्षक की वार्षिक प्रविष्टि में प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा मंतव्य अंकित करते हुए मूल्यांकन किया जाये।

भवदीय,
रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-50/2016/1980 (1)/37-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तमानुसार आवश्यक कार्यही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।